छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचादश सत्र अंक-08

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी, 2018

(माघ 26, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

13, 14, 15, एवं 16 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

तारांकित प्रश्न संख्या 02, 03, 05 एवं 09 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री कवासी लखमा, विद्यारतन भसीन, मनोज सिंह मंडावी एवं पारसनाथ राजवाड़े अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 43 तारांकित एवं 69 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 16 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. वक्तव्य

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रदेश में बेमौसम वर्षा से अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य दिया ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, सदस्य ने प्रदेश में सूखा से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

5. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

(बहिर्गमन के पश्चात भी श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री द्वारा ध्यानाकर्षण का उत्तर दिये जाने के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री दलेश्वर साहू,

पारसनाथ राजवाड़े, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, अरूण वोरा, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री दीपक बैज, शंकर ध्रुवा, रामदयाल उइके, सियाराम कौशिक, भोलाराम साहू, राजेन्द्र कुमार राय, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा एवं गिरवर जंघेल।

मानतीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

7. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय सभापति ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर में शासन की सुविधाओं का दिव्यांगों को लाभ नहीं मिलने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रमशिला साहू, समाज कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री दीपक बैज, सदस्य ने ककनार-रतेंगा मार्ग 1.5 किलोमीटर का डामरीकरण किये जाने,
(2) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्राप्त न होने,
(3) श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य ने मनरेगा के तहत मिट्टी मुरम सड़क कार्य स्वीकृत न होने से कार्य की कमी होने के कारण मजदूरों के द्वारा किये जा रहे पलायन, तथा
(4) श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य ने एस.ई.सी.एल. द्वारा मुआवजा निर्धारण के तोषण राशि प्रदाय नहीं किये जाने **सबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।**

10. वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी),

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री मोहन मरकाम, श्रीमती सरोजनी बंजारे,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री केशव चंद्रा, डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ. सनम जांगड़े, श्री सत्यनारायण शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भोजराज नाग, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष (जारी)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 4 के अंतर्गत मांगों पर चर्चा प्रारंभ होने तक समयवृद्धि की घोषणा की।)

11. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या 69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 81 एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 11 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-7 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, मोतीलाल देवांगन, बघेल लखेश्वर, जनकराम वर्मा मांग संख्या-22 सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, मोतीलाल देवांगन, बघेल लखेश्वर मांग संख्या-69 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, बघेल लखेश्वर मांग संख्या-81 पर सर्वश्री बघेल लखेश्वर, राजेन्द्र कुमार राय मांग संख्या-11 पर सर्वश्री

टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, मोतीलाल देवांगन, बघेल लखेश्वर, जनकराम वर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी।
श्री रामदयाल उईके, सदस्य चर्चा प्रारंभ करेंगे।

सायं 5.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2018 (माघ-27, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा